झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(पर्यटन प्रभाग)

झारखण्ड राज्य में आयोजित मेला/महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने संबंधी नियमावली 2015

चूँकि झारखण्ड राज्य में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय कला की विविधता मौजुद है। राज्य के अलग–अलग इलाकों में अलग–अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए परम्परागत तरीके से मेला, प्रदर्शनी तथा महोत्सव मनाये जाने की विशिष्ट परिपाटी रही है। इन मेलों, प्रदर्शिनियों एवं महात्सवों को स्थानीय समिति अथवा स्थानीय प्रशासन और कई बार राज्य सरकार के किसी विभाग के माध्यम से आयोजित किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसे आयोजनों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग दिया जाता रहा है। ऐसे आयोजनों में आर्थिक एवं प्रशासनिक सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। जिससे ऐसे आयोजनों में आर्थिक एवं प्रशासनिक सहभागिता सुनिश्चित करने में एकरूपता नहीं हो पाती है।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 19.02.2015 को ईटखोरी महोत्सव (चतरा) में ईटखोरी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की घोषणा के मद्देनजर देवघर महोत्सव, बासुकीनाथ महोत्सव, इटखोरी (चतरा) महोत्सव, माघी मेला (साहेबगंज) तथा हिजला मेला (दुमका) को राजकीय महोत्सव घोषित करते हुए भविष्य में किसी भी महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित करने की एक नियमावली बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक संख्या–272, दिनांक–26.02.2015 में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न अनुसार एक नियमावली तैयार की गयी है जिसके आधार पर किसी मेला/महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित किया जा सके।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(1) यह नियमावली झारखण्ड राज्य में आयोजित मेला/महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने संबंधी नियमावली 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियम करे।

2. **परिभाषाएँ** :– जबतक कि विषय या संदर्भ में कोई विरूद्ध बात न हो, इस अधिनियम में–

(क) "मेला/महोत्सव" से अभिप्रेत ऐसे आयोजन से होगा जिसमें राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक उत्सवों इत्यादि का प्रदर्शन हो तथा जिसे देखने हेतु बड़ी संख्या में लोगों का आना हो;

(ख) "मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री;

(ग) "मंत्री" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य;

(घ) "सचिव" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी विभाग का सचिव/प्रधान सचिव;

(ङ) "निदेशक" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी निदेशालय के निदेशक;

(च) "उपायुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला दंडाधिकारी–सह–उपायुक्त;

(छ) "वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला का वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक;

(ज) "वन प्रमण्डल पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी;

(झ) "अपर समाहर्ता" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त अपर समाहर्ता;

(ञ) "अनुमंडल पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त अनुमण्डल पदाधिकारी;

(ट) "अंचलाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त अंचलाधिकारी;

(ठ) सांसद से अभिप्रेत है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो किसी खास संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ड) विधायक से अभिप्रेत है संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक;

(ढ) "जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित जिले में राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त या संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनियुक्त जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ;

(ण) "जिला योजना पदाधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित जिले में राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त या संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनियुक्त जिला योजना पदाधिकारी ;

(त) "आंतरिक वित्तिय सलाहकार" से अभिप्रेत है योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनियुक्त विभाग के आंतरिक वित्तिय सलाहकार ;

(थ) "विहित" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(द) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली।

3. राजकीय मेला घोषित करने की प्रक्रिया :–

(1) किसी भी मेला/महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने का प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के साथ प्राप्त होना चाहिए। इस जिला स्तरीय समिति में निम्न सदस्य होगें :–

(i) उपायुक्त – अध्यक्ष
(ii) वरीय पुलीस अधीक्षक/पुलीस अधीक्षक – सदस्य
(iii) वन प्रमण्डल पदाधिकारी – सदस्य
(iv) अपर समाहर्त्ता – सदस्य
(v) संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी – सदस्य
(vi) संबंधित अचंल अधिकारी – सदस्य
(vii) स्थानीय टूर ट्रेवल आपरेटर ऐसोशिएसन के प्रतिनिधि – सदस्य

(viii)	स्थानीय होटल एसोशिएसन के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ix)	क्षेत्र के सभी सांसद/विधायक (अथवा उनके प्रतिनिधि)	–	सदस्य
(x)	संबंधित नगर निकाय/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(xi)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत संबंधित क्षेत्र के दो गणमान्य व्यक्ति/विशेषज्ञ	–	सदस्य
(xii)	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	–	सदस्य
(xiii)	जिला योजना पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

(2) यदि राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने हेतु अन्य किसी माध्यम से प्रस्ताव सीधे पर्यटन विभाग को प्राप्त हो तो पर्यटन विभाग उस प्रस्ताव को संबंधित जिला के उपायुक्त को भेजते हुए उनकी अनुशंसा कंडिका (2) के तहत् प्राप्त करेगा।

(3) अनुशंसा के क्रम में निम्न बिन्दुओ पर प्रतिवेदन/मंतव्य आवश्यक होगा :–

(i) मेले की पृष्ठभूमि जिसमें मेले के आयोजन के संबंध में विस्तृत विवरण उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त हो, जिसमें मेले का आयोजन कब से हो रहा है और इसकी शुरूआत का इतिहास या विशेषता (कोई कारण हो तो) जिसका विवरण शामिल हो।

(ii) उक्त मेला में आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्षवार हो, जिसमें राज्य के अन्दर से, राज्य के बाहर से तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या की विवरणी भी शामिल हो।

(iii) उक्त मेला में राज्य के अन्दर से तथा राज्य के बाहर से आने वाले व्यवसायियों की संख्या तथा मेले से होने वाली अनुमानित आमदनी का विवरण शामिल हो।

(iv) उक्त मेला में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का विवरण शामिल हो, जिससे राज्य की संस्कृति का प्रचार हो।

(v) उक्त मेला में दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण शामिल हो।

(vi) उक्त मेला को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता का विवरण हो।

(4) जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा/प्रतिवेदन को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें निम्न सदस्य होगें :–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग– अध्यक्ष

(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि– सदस्य

(iii) प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि– सदस्य

(iv) निदेशक, कला संस्कृति – सदस्य

(v) निदेशक, पर्यटन – सदस्य सचिव

(vi) आंतरिक वित्तिय सलाहकार,
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)– सदस्य

विभागीय प्रतिनिधि संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के पदाधिकारी होंगे।

(5) राज्य स्तरीय समिति उक्त प्रस्ताव को अपनी अनुशंसा के साथ विभागीय मंत्री को भेजेगी तथा विभागीय मंत्री की सहमति एवं मुख्य मंत्री के अनुमोदनोपरान्त कोई मेला/महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करेगी।

(6) किसी भी जिले में राजकीय मेला की संख्या एक से अधिक नहीं होगी परन्तु, विशेष परिस्थिति में यदि आवश्यकता हुई तो मंत्रिपरिषद की सहमति के उपरान्त ही किसी जिले में एक से अधिक राजकीय मेला घोषित किया जा सकेगा।

4. घोषित राजकीय मेला/महोत्सव का आयोजन :–

(1) घोषित राजकीय मेला/महोत्सव के आयोजन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि पूरे मेले को आयोजित करेगी तथा इसमें निम्न सदस्य होगें :–

(i) उपायुक्त

(ii) पुलीस अधीक्षक

(iii) वन प्रमण्डल पदाधिकारी

(iv) अपर समाहर्त्ता

(v) संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी

(vi) संबंधित अचंल अधिकारी

(vii) स्थानीय Tour & Travel Operator association तथा Hoteliers के प्रतिनिधि

(viii) जन प्रतिनिधि यथा सांसद, विधायक, नगर निकाय/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि

(ix) समाजिक प्रतिनिधि जो कि उपायुक्त द्वारा नामित होंगे।

(x) जिला योजना पदाधिकारी – संयोजक

(2) मेला आयोजन समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा :–

(i) मेला आयोजन स्थल में पर्यटको के आवासन हेतु उचित व्यवस्था

(ii) पर्यटको हेतु जन सुविधा केन्द्र की व्यवस्था।

(iii) मेला स्थल तक पहुँचने हेतु उचित सम्पर्क पथ।

(iv) मेला का आयोजन परम्परागत रूप से होने की व्यवस्था।

(v) मेले में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था।

(3) ऐसे मेलों में अन्य विभागों की भागीदारी अथवा निजी संस्था, निजी दुकान से प्राप्त होने वाले आय की सम्भावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(4) ऐसे मेलों में आयोजन स्थल में एवं आस–पास से/बाहर से आनेवाले पर्यटकों के आवाशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी व्यवस्था जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए।

5. वित्तीय सहायता/अनुदान :–

(1) किसी मेला/महोत्सव को राज्य द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता/अनुदान की अधिकतम राशि का निर्धारण निम्न अनुसार किया जाएगा :–

(i) यदि राजकीय मेला हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान का प्रावधान हो, तो केन्द्र सरकार को अनुशंसा की जाएगी।

(ii) यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मेला हो जिसमें विदेशी पर्यटकों का आगमन या भागीदारी हो तो उक्त मेला को अधिकतम 15.00 लाख रूपये का अनुदान सचिव के अनुमोदन के उपरान्त दिया जायेगा।

(iii) यदि राष्ट्रीय स्तर का मेला हो तो अधिकतम 10.00 लाख रूपये का अनुदान सचिव के अनुमोदन के उपरान्त दिया जायेगा।

(iv) यदि राजकीय स्तर का मेला हो तो अधिकतम 5.00 लाख रूपये का अनुदान सचिव के अनुमोदन के उपरान्त दिया जायेगा।

(v) यदि आवश्यक हुआ तो अनुदान की राशि की सीमा में बढ़ोतरी विभागीय मंत्री के सहमति पर किया जायेगा।

(2) किसी मेला/महोत्सव को राज्य द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता/अनुदान की राशि का उपयोग मेला आयोजन समिति द्वारा बैठक के क्रम में मेला के संचालन हेतु लिये गये निर्णयों के अनुसार मेला के आयोजन तथा मेला में आये पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया जायगा। उक्त अनुदान की राशि मेला आयोजन समिति को पर्यटन प्रचार मद से दी जायेंगी।

अविनाश कुमार
सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति,
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग